International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 14-11-2021, Accepted: 29-11-2021, Published: 15-12-2021
Volume 7, Issue 6, 2021, Page No. 45-49

आपराधिक न्याय व्यवस्था में महिला की स्थिति

उर्मिला राठी
शोधार्थी, विधि संकाय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान, भारत

सारांश
आज 21वीं शताब्दी में महिला एवं न्याय के बीच एक दूरी सी दिखाई देने लगी है। एक तरफ महिला स्वयं के प्रयासों से सशक्त, मजबूत होती जा रही है, वही दूसरी तरफ महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, यौन अपराध, अत्याचार बढ़ते जा रहे है, जिसके लिए वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाती है परन्तु न्यायालय की लम्बी प्रक्रिया के कारण समय पर न्याय प्राप्त नहीं कर पाती। जिस कारण कहीं बार महिलाओं का अपना जीवन त्यागना अर्थात् आत्महत्यां करनी पड़ती है तो कई बार उसे कानून अपने हाथ में लेना पड़ता है। जबकि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आज के समय निम्नलिखित कानून बने हुए हैः–
राष्ट्रिय महिला आयोग अधिनियम, 2005, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं नियमावली, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005, मातृत्व लाभ अधिनियम, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956, बलात्कार से संबंधित विधि में (संशोधन) अधिनियम 2013, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013, महिलाओं का अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986, प्रसूति प्रसूविधा अधिनियम, 1961, भारतीय दण्ड संहिता, 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पर्वू निदान तकनीक अधिनियम, 1994।

मूल शब्दः भारतीय न्यायिक प्रणाली, महिलाओं की स्थिति, महिलाओं से संबंधित विधायी प्रावधान, प्रक्रियात्मक विधि

प्रस्तावना

न्यायपालिका लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है भारत में आपराधिक न्यायिक प्रणाली में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय, अतिरिक्त सेशन न्यायालय, सहायक सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट एवं कार्यपालिका मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की गई है। अर्थात्

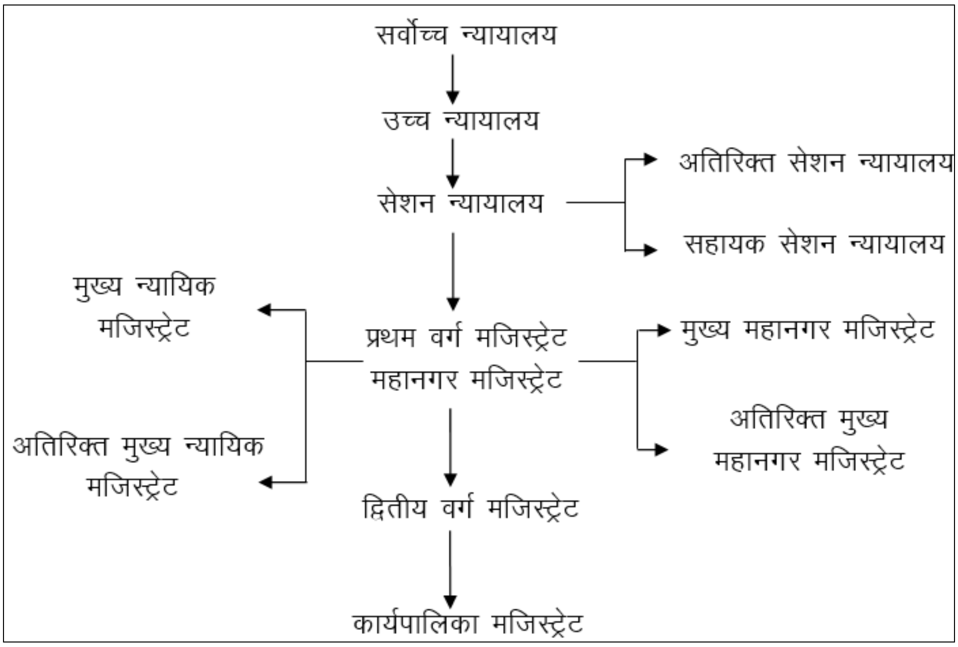

उपरोक्त प्रकार के न्यायालय आपराधिक मामलों की सुनावाई करते है जिनमें महिलाओं से संबंधित निपटारा करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 309 के तहत शीघ्र परीक्षण का प्रावधान किया जिसके अनुसार महिलाओं के साथ बलात्कार के मामलें में दो माह के अन्दर निपटारा करने का प्रयास करने तथा उसका पालन करने के लिए बल दिया गया। महिलाओं को समय पर न्याय प्रदान करने के लिए सभी कानूनों में निश्चित समय का प्रावधान किया गया ताकि महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकें तथा हिंसा से बचाया जा सकें।

महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विधायिका का योगदान

संसद के द्वारा महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 को एक प्रक्रियात्मक विधि के रूप में स्थापित किया। सिविल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 को बनाया। महिलाओं के अधिकारों के लिए भारत के संविधान में निम्न प्रावधान दिए गए।

अनुच्छेद 15(3)

धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर महिलाओं के साथ विभेद नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 16

राज्य महिलाओं को लोक नियोजन एवं नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था करती है।

अनुच्छेद 21

किसी भी महिला को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित करेगी अन्यथा नहीं।

अनुच्छेद 21

राज्य द्वारा महिलाओं के साथ हो रहें बलात्कार के सम्बन्ध में प्रतिकर की व्यवस्था की जिसको सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में स्वीकार किया गया इसका उदाहरण हैः–

1. **बोधिसत्व गौतम बनाम शुभ्रा चक्रवर्ती 1996 सर्वोच्च न्यायालयः–** इस मामलों में बलात्कार पीड़ित महिला का अन्तरिम प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया।

2. **दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फोर्म बनाम भारत संघ 1995 सर्वोच्च न्यायालयः–** इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया कि महिलाओं को यौन संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है और इसकी सुरक्षा के लिए वह न्यायालय के सरंक्षण में जा सकती है और न्यायालय का कर्त्तव्य है कि महिला को समुचित न्याय एवं सुरक्षा प्रदान करें।

3. **विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 सर्वोच्च न्यायालयः–** अनुच्छेद 21 के तहत श्रमजीवी महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सरंक्षण के लिए न्यायालय का सर्वोच्च कार्य करने चाहिए तथा विधायिका द्वारा इसके संबंध में एक कानून भी बनाया गया। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण) प्रतिषेध एवं प्रतिरोध) अधिनियम 2013 एवं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) नियम 2013।

4. **चमेली सिंह बनाम उत्तरप्रदेश राज्य 1996 सर्वोच्च न्यायालयः–** असुरक्षित महिलाए, हिंसा से पीड़ित महिलाओं तथा अत्याचार से से असहनीय महिलाओं के लिए सरकार के द्वारा आश्रय ग्रह की व्यवस्था करना तथा महिलाओं द्वारा आश्रय ग्रह प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया।

अनुच्छेद 23

मानव के दुर्व्यापार पर तथा खरीद फरोख पर रोक लगाई गई। इसके तहत महिलाओं के प्रति बढ़ती खरीद – फरोख पर कड़ाई से रोक लगाने के लिए अधिनियम को बनाया गया अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत महिलाओं की सुरक्षा एवं शीघ्र न्याय के लिए प्रावधान

धारा 51 (उपधारा 2) – स्त्री की तलाशी

स्त्री की तलाशी की जब भी आवश्यकता होगी तब तलाशी के दौरान शिष्टता का ध्यान रखा जाएगा और तलाशी अन्य स्त्री द्वारा की जाएगी।

धारा 53– महिला की शारीरिक परीक्षा

यदि किसी महिला की शारीरिक परीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है तो किसी महिला चिकित्सा व्यवसायी द्वारा या उसके पर्यवेक्षण में की जाएगी।

धारा 46– महिला की गिरफ्तारी के प्रावधान

महिला की किसी मामले में गिरफ्तारी करनी है तो वहां जब तक परिस्थितियां प्रतिकुल न हो, गिरफ्तारी की मौखिक सूचना दी जाएगी। यदि वह स्वयं आ जाती है तो ठीक अन्यथा किसी महिला अधिकारी के द्वारा ही की जाएगी। गिरफ्तारी के समय शिष्टता का ध्यान रखा जाएगा।

असाधारण परिस्थितियों के सिवाय महिला को सूर्यास्त के पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और जहाँ गिरफ्तारी आवश्यक है तो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा प्रथय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से की जाएगी यदि महिला अधिकारी उपलब्ध न होने पर पुरूष पुलिस अधिकारी द्वारा भी गिरफ्तार किया जा सकता है।

- *राजकुमारी बनाम एस. एच. ओ. नोएडा 2003 SC*
- *किश्यचन वेलफेयर सोसाइटी बनाम महाराष्ट्र राज्य 1995 SC*

उपरोक्त दोनों मामलों में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया की महिला पुलिस अधिकारी के न होने पर किसी महिला को पुरूष अधिकारी के द्वारा भी गिरफ्तार किया जा सकता है।

धारा 64– महिला पर समन की तामील

महिलाओं पर आपराधिक मामलें में समन की तामील नहीं की जाएगी।

धारा 47 एवं धारा 100– पर्दाशीन महिला को तलाशी के दौरान सरंक्षण

इन धाराओं के तहत जब घर की तलाशी या ऐसे स्थान की तलाशी जिसमें पर्दाशीन महिला रहती है तो पहले उसे वहाँ से हटने का समय दिया जाएगा और उसके बाद ही उस स्थान की तलाशी ली जाएगी। ताकि परम्पराओं और रीति–रिवाजों के अनुसार महिलाओं को सुरक्षा दी जा सके तथा उनकी गरिमा को बनाए रखा जा सके।

धारा 98– अपहृत स्त्रियों को वापस करने की शक्ति

कोई स्त्री या अठारह वर्ष से कम आयु की बालिका को विधि विरूद्ध प्रयोजन के लिए अपहृत कर दिये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को लिखित में परिवाद करने पर महिला तथा बालिका को उस निरोध से तुरन्त स्वतंत्र कराया जाएगा तथा बालिका को उसके परिवारजन को वापस करेंगें तथा महिला को स्वतंत्र कर दिया जाएगा।

धारा 125– पत्नी को भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार

पति द्वारा पत्नी को भरण पोषण दिया जाना चाहे पत्नी साथ रह रही हों चाहे वह विवाह विच्छेद की पत्नी हो जब तक वह दूसरा विवाह नहीं कर लेती है। यदि पति के द्वारा पत्नी को न्यायालय के आदेश के बावजूद भी भरण पोषण नहीं दिया जाता है तो पति

को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा एक माह तक का कारावास दिया जाएगा।

धारा 154– महिला द्वारा बलात्कार के मामलों में एफ. आइ. आर.

यदि किसी महिला के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 326 क, 326 ख, 354 क, 354 ख, 354 ग, 354 घ, 376, 376 क, 376 कख, 376 ख, 376 ग, 376 घ, 376 घक, 376 घख, 376 ड़ तथा 509 की अधीन कोई अपराध या उसका प्रयत्न करता है तो वह उसके विरूद्ध प्रथम सूचना या इतिला महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी और महिला को विधिक सहायता और किसी स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता या महिला संगठन को सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।

यदि पीड़ित महिला शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ होगी तो उसके लिए द्विभाषिएं या किसी विशेष प्रबोधक की उपलब्धता कराई जाएगी।

आवश्यकता पड़ने पर ऐसी इतिला के अभिलेखन की विडियों फिल्म भी तैयार की जाएगी ताकि महिलाओं को न्याय प्रदान करने में कोई भी कमी न रहे।

धारा 160– साक्षी के रूप में महिला

किसी भी महिला को जो साक्षी के रूप में है, साक्ष्य देने के लिए पुलिस थाने में नहीं बुलाया जाएगा। उस महिला का साक्ष्य या तो उसके निवास स्थान पर या किसी सामाजिक संस्थान पर या जहाँ महिला सुरक्षित समझे वहाँ पर लिया जाएगा।

2005 सर्वोच्च न्यायालय– कमलनाथ बनाम तमिलनाडू राज्य

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि महिला का साक्ष्य पुलिस थाने में बुलाकर नहीं लिया जाएगा, कहीं अन्य जगह जैसे महिला का निवास स्थान, सामाजिक संरक्षण इत्यादि पर।

धारा 164क– बलात्कार की शिकार महिला की शारीरिक परीक्षा

जब किसी महिला का बलात्कार होता है या उसका प्रयत्न किया जाता है तो उसकी चिकित्सा परीक्षा सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलायें जा रहे अस्तपताल या सरकार द्वारा रजिस्टर्ड अस्तपताल में महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा या उसकी या उसके निर्देश के अधीन बलात्कार से चौबीस घण्टे के भीतर उस महिला की सहमति से जिसका बलात्कार हुआ है, चिकित्सक परीक्षण किया जाएगा। इसका उद्देश्य बलात्कार के संबंध में साक्ष्य प्राप्त करना है। साथ ही धारा 53 । के तहत बलात्कार करने वाले की भी चिकित्सकीय परीक्षण किया जाएगा ताकि बलात्कार होना साबित हो सके तथा महिला को न्याय मिल सके।

धारा 165

पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी के दौरान महिला के साथ शिष्टता का व्यवहार किया जाएगा और यदि पर्दाशीन महिला है तो उसे उस स्थान से हटने के लिए उचित समय दिया जाएगा फिर तलाशी ली जाएगी।

धारा 167– अन्वेषण पूरा न होने पर महिला को कहाँ रखा जाएगा

यदि किसी महिला पर किसी अपराध का आरोप है और चौबीस घण्टे में अन्वेषण पूर्ण नहीं होता है तो उसे पुलिस थाने में रखने की बजाय प्रतिप्रेषण ग्रह या मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था की अभिरक्षा में रखा जाएगा।

धारा 174– महिला द्वारा विवाह के सात वर्ष के भीतर आत्महत्या करने की प्रक्रिया

1. यदि किसी महिला की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर आत्महत्या करने से या
2. ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु हुई है जो युक्ति युक्त संदेह उत्पन्न करती है कि किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी स्त्री के संबंध में कोई अपराध किया है।
3. उस स्त्री के नातेदार ने ऐसी मृत्यु के संबंध में कोई निवेदन किया।
4. मृत्यु के कारण के बाबत कोई संदेह है।
5. किसी अन्य कारण पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसी समीक्षा करना समीचीन है।

तब ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त निहित की जाए। निकटतम सिविल सर्जन के पास या राज्य सरकार द्वारा इस निमित नियुक्त अन्य अर्हित चिकित्सक के पास मेडिकल कराई जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार द्वारा या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित विशेषतया सशन्त किए गए अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा मृत्यु समीक्षा की जाएगी।

धारा 176– अभिरक्षा के दौरान महिला का बलात्कार

जब कोई महिला पुलिस अभिरक्षा या मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिरक्षा में किसी महिला के साथ बलात्कार होता है तो उसका अन्वेषण पुलिस अधिकारी के द्वारा होने पर भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अतिरिक्त जाँच की जाएगी। इसके पीछे उद्देश्य समुचित और निष्पक्ष साक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकें।

धारा 182 – पति द्वारा दूसरा विवाह करने पर पत्नी (महिला) के लिए विचारण का स्थान पत्नी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए

विचारण उस न्यायालयों द्वारा किया जाएगा जहाँ पति के साथ अन्तिम बार निवास किया या पत्नी अपराध किए जाने के पश्चात् स्थायी रूप से निवास करती है।

धारा 197– महिला के विरूद्ध अपराध न्यायाधीश और लोक सेवक द्वारा करने पर प्रक्रिया

सामान्य नियम है कि सरकारी सेवक द्वारा या न्यायाधीश द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही उन अधिकारियों के उच्चतर अधिकारी या राज्य सरकार या केन्द्रिय सरकार की अनुमति से ही किया जाएगा। परन्तु सरकारी सेवक ने अपराध महिला के विरूद्ध निम्न धारा 166 क, 166ख, 354, 354 क, 354 ख, 354 ग, 354 घ, 370, 375, 376, 376 क, 376 कख, 376 क, 376 ख, 376 ग, 376 घ, 376 घक, 376 घख, 376 ड़, या धारा 509 के अधीन किया जाता है तो कार्यवाही करने के लिए पूर्व मंजूरी अपेक्षित नहीं होगी।

धारा 198– महिला के विरूद्ध अपराध भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अध्याय 20 के तहत प्रक्रिया

यदि महिला के विरूद्ध कोई भी अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 493 से 498 तक किए जाते है तो न्यायालय में लिखित या मौखिक परिवाद किया जा सकेगा। ये परिवाद पीड़ित महिला द्वारा स्वयं किया जाएगा परन्तु यदि वह 18 वर्ष से कम की है या पागल है या मूढ़ है या जड़ है तो न्यायालय की अनुमति से उनके सरंक्षक द्वारा, माता–पिता, भाई, बहिन, पिता या माता का भाई या बहिन या अन्य व्यक्ति द्वारा जो उससे रक्त, विवाह या दत्तक द्वारा संबंधित है किया जा सकता है।

धारा 198 क – भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498–क के तहत अपराधों का अभियोजन
महिला के विरूद्ध 498 के अपराध के विरूद्ध पुलिस रिपोर्ट द्वारा अथवा परिवाद द्वारा पति एवं पति के नातेदारों के विरूद्ध शिकायत की जा सकती है या उसके पिता, माता, भाई, बहीन या पिता अथवा माता के भाई या बहीन के द्वारा परिवाद किया जा सकता है। न्यायालय की अनुमति से रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण द्वारा भी परिवाद दायर किया जा सकता है।

धारा 198 ख
जहां महिला अपने पति से न्यायिक पृथ्यकरण में रह रही है और पति द्वारा महिला की सहमति के बिना उसके साथ सम्भोग करता है तो पत्नी पति के विरूद्ध बलात्कार के लिए न्यायालय में परिवाद कर सकती है। न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्ट्या मामला प्रतीत होता है तो संज्ञान लेगा तथा कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

धारा 265 क– महिला के विरूद्ध किए गए अपराधों के संबंध में माफी न मिलना
किसी भी अभियुक्त को चाहे आरोप पुलिस रिपोर्ट वाला हो या परिवाद वाला, यदि महिला के विरूद्ध अपराध किया जाता है तभी अभिवाक् सोदेबाजी के तहत माफी नहीं मिलेगी।

धारा 304 – महिला का अभियुक्त होने की दशा में विधिक सहायता
महिला पीड़ित भी हो सकती है तो महिला आरोपी भी दोनों ही तरह के मामले सामने आते है। पीड़ित के रूप में उसके पास अधिवक्ता को देने की फीस नहीं होती तो संविधान के अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 39 । में निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकती है और महिला अभियुक्त के रूप में है तो धारा 304 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में राज्य के व्यय पर सेशन न्यायालय और अन्य किसी न्यायालय में निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकती है।

धारा 309 – बलात्कार के संबंध कार्यवाही की समय सीमा
सामान्य नियम कहता है कि कार्यवाही दिन– प्रतिदिन की जाएगी परन्तु आवश्यकता पड़ने पर स्थगत दिया जा सकता है परन्तु महिला के साथ बलात्कार के मामले में धारा 376, 376 क, 376 कख, 376 ख, 376 ग, 376 घ, 376 घक, 376 घख, 376 ड़ में कार्यवाही आरोप पत्र फाइल किए जाने के दो माह के भीतर पूरा किया जाएगा।

धारा 357 ख– महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में जुर्माने के अतिरिक्त प्रतिकर दिलाना
भारतीय दण्ड संहिता 1960 की धारा 326 क, 376 घ, 376 घक, 376 घख, के अधीन प्रतिकर जुर्माने के अतिरिक्त दिलाया जाएगा। ताकि महिलाओं को हुई क्षति का समुचित प्रकार से चिकित्सा कराइ जा सके।

धारा 357 ग– महिला पीड़ितों का उपचार
भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 376 क, 376 कख, 376 ख, 376 ग, 376 घ, 376 घक, 376 घख, 376 ड़ के अधीन महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों के लिए सरकार के द्वारा लोक या प्राइवेट अस्तपताल में तुरंत निःशुल्क प्राथमिक या चिकत्सकीय उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई साथ ही ऐसी घटना की रिपोर्ट पुलिस को तुरन्त प्रभाव से दी जायेगी।

धारा 360– सदाचार की परीवीक्षा पर भर्त्सना के पश्चात् महिला को छोड़ देने का आदेश कब दिया जाएगा
किसी महिला ने ऐसा कोई अपराध किया जिसमें मुत्यु दण्ड या आजीवन कारावास का अपराध नहीं है तो उस अपराध की प्रकृति, अपराधी महिला का चरित्र तथा महिला की पूर्व दोषसिद्धि को ध्यान में रखते हुए बंधपत्र पर प्रतिभूओं सहित या रहित तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है परन्तु इस बीच वह परिशान्ति कायम नहीं रखती है तो उसे पुनः गिरफ्तार किया जा सकता है।

धारा 374– महिला के विरूद्ध बलात्कार में अपील का शीघ्रतम निपटारा
जब भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 376, 376 क, 376 कख, 376 ख, 376 ग, 376 घ, 376 घक, 376 घख, 376 ड़ के अधीन पारित किसी दण्डादेश के विरूद्ध कोई अपील की जाती है तो उसका निपटारा ऐसी अपील की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा इसके पीछे विधायिका का आशय महिला को समय पर न्याय प्रदान करना है।

धारा 377– राज्य सरकार द्वारा बलात्कार के मामले में कम दण्ड को बढ़ाने के लिए अपील का निपटारा शीघ्रतम करना
जब भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 376, 376 क, 376 कख, 376 ख, 376 ग, 376 घ, 376 घक, 376 घख, 376 ड़ के अधीन पारित किसी दण्डादेश के विरूद्ध कोई अपील की जाती है तो उसका निपटारा ऐसी अपील की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा इसके पीछे विधायिका का आशय महिला को समय पर न्याय प्रदान करना है।

धारा 416 – गर्भवती स्त्री को मृत्युदण्उ की दशा में प्रक्रिया
यदि महिला गर्भवती है और मृत्युदंड से दण्डित अपराध किया है तो उसे उच्च न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास में परिवर्तन कर दिया जाएगा या लघुकरण कर दिया जाएगा।

धारा 438 – अग्रीम जमानत
दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 22 के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 376 की उपधारा (3) या धारा 376 कख या धारा 376 घक या 376 घख के अधीन अपराध किए जाने के अभियोग पर अन्तिम जमानत प्रदान नहीं कि जायेगी।

निष्कर्ष
उपरोक्त व्याख्या के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में महिलाओं के अधिकारों पर, उसके शारीरिक बनावट के सरंक्षण के लिए उसके मानसिक के हिंसाओं आदि को रोकने, सुरक्षा प्रदान करने, सरंक्षण देने के लिए संसद/विधायिका के द्वारा कठोर प्रक्रिया को बनाया गया है। अब न्यायपालिका का कार्य इन प्रावधानों की गम्भीरता से पालना करे तथा न्यायालय की लम्बी–लम्बी दलीलों से महिलाओं के अधिकारों का बचाव करते हुए समय पर न्याय प्रदान करें। न्याय करते समय न्यायालय को निष्पक्ष, ऋजु तथा सदभविवेक का प्रयोग करे।

संदर्भ सूची
1. डॉ. जयनारायण पाण्डेय भारत का संविधान पृष्ठ संख्या 133
2. डॉ. जयनारायण पाण्डेय भारत का संविधान पृष्ठ संख्या 146
3. डॉ. जयनारायण पाण्डेय भारत का संविधान पृष्ठ संख्या 236
4. डॉ. जयनारायण पाण्डेय भारत का संविधान पृष्ठ संख्या 280

5. डॉ. बसन्तीलाल बाबेल दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 पृष्ठ संख्या 63
6. डॉ. बसन्तीलाल बाबेल दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 पृष्ठ संख्या 221
7. डॉ. बसन्तीलाल बाबेल दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 पृष्ठ संख्या 354
8. डॉ. ना. वि. परांजये अपराशास्त्र, दण्ड प्रशासन एवं प्रपीड़नशास्त्र पृष्ठ संख्या 196
9. डॉ. बसन्तीलाल बाबेल घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून पृष्ठ संख्या 212
10. ओम प्रकाश मिश्र मानवाधिकार विधि पृष्ठ संख्या 319